न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

-1-

बृजेन्द्र कुमार तनय शंकरदयाल रावत ,

निवासी ग्राम चन्देरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

.....आवेदक

बनाम

1-- सुनील कुमार दुबे , तनय स्वामी प्रसाद दुबे ,

निवासी-- महेबा चक क0 4, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़

2-- खरगा तनय जुग्गा ढीमर , 3-- चिंतामन तनय हल्का ढीमर ,

4-- गुन्ना तनय हल्का ढीमर , 5-- सूरा तनय दीनदयाल ढीमर ,

6-- पुष्पेन्द्र तनय अतररिंह ठाकुर , 7-- जानकी तनय दुर्गा ढीमर,

निवासी - महेबा चक क0 4, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़

..... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प0 भू0 रा0 संहिता :--

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :--

1-- यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायाल श्रीमान अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्र0 क0 315/अ--68/2015--16 में पारित आदेश दिनांक 04/08/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है। जिसमें आवेदक द्वारा एक अपील उनके समक्ष अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जतारा, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 108/अपील/2015--16 में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 28/07/2016 से परिवेदित होकर की थी, जिसके साथ उसके द्वारा स्थगन बाबद धारा 52 का आवेदनपत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जिसे कि अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 04/08/2016 को अभिलेख प्राप्त होने पर विचार करने का लेख करते हुये लंबित कर दिया है, जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत कर रहा है।

2-- यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम महेबा में विभिन्न खसरा नंबरों की भूमि, श्री श्री 1008 श्री महादेव जी मंदिर के

IX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक...... निग. 2627 I / 16 ... जिला ...टीकमगढ़.........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.11.16	1-- आवेदक के अधिवक्ता राजेन्द्र पटैरिया एवं अनावेदक सुनील कुमार की ओर से अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित। मैंने आवेदक एवं अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं आपत्ति पर तर्क श्रवण किए। 2-- यह निगरानी अपर आयुक्त सागर द्वारा आर्डरशीट दिनांक 04.08.16 जिसमें अभिलेख प्राप्त होने पर स्थगन पर विचार किए जाने का उल्लेख किया गया है। इसी आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण किया जाना है। इस कारण उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनुतोष प्राप्त कर सकते है। ऐसी स्थिति में प्रकरण विचाराधीन रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। 3-- उपरोक्तानुसार अपर आयुक्त सागर को निर्देश दिए जाते है कि प्रस्तुत अपील का निराकरण तीन माह की अवधि में अनिवार्य रूप से करें। उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

[क्र. प. उ.